

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette



एस.जी.-डी.एल.-अ.-20092021-229773
SG-DL-E-20092021-229773

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 268]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 16, 2021/भाद्र 25, 1943	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 177
No. 268]	DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 16, 2021/BHADRA 25, 1943	[N. C. T. D. No. 177

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह-III विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 16 सितम्बर, 2021

सं. फा. 16(20)/97/एच-III/आरआर/1695.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 24 सितंबर, 1968 की अधिसूचना सं. 24/78/68-डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 9 सितम्बर, 1998 की अधिसूचना सं. फा. 16(20)/97/एच-III/आर.आर.-1888-97 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की जानी वाली या किए जाने के लिए हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्वारा दिल्ली अग्निशमन सेवा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में "मंडलीय अधिकारी (अग्निशमन)" के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ.—(i) इन नियमों को मंडलीय अधिकारी (अग्निशमन), दिल्ली अग्नि सेवा भर्ती नियमावली, 2021 कहा जायेगा।
(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।
- भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यता इत्यादि.—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु-सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथा-विनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि, दिल्ली सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. **शिथिल करने की शक्ति**.—जहां यदि सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. **बचाव**.—इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक या अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	मंडलीय अधिकारी (अग्निशमन)
2.	पदों की संख्या	:	09*(2021) *परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	वर्गीकरण	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय, राजपत्रित समूह "क"
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	11 अभियुक्ति : स्तर — 11 (67700—2,08,700 /—रुपये) वेतनमान
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर-चयन पद	:	चयन पद
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु-सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं	:	अनिवार्य :— योग्यता — लागू नहीं अनुभव — लागू नहीं वांछनीय :— योग्यता — लागू नहीं अनुभव — लागू नहीं योग्यता मानक टीप:— लागू नहीं अनुभव मानक टीप:— लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है	:	वर्ष : लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति : सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पद्धति पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति अल्पकालिक संविदा सहित। प्रतिशत 100

11.	यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है	पदोन्नति : वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 (56,100-1,77,500/-रुपये) में 5 वर्ष की नियमित सेवा सहित सहायक मंडलीय अधिकारी (अग्निशमन) तथा विभाग द्वारा यथा-निर्धारित 2-4 सप्ताह का अनिवार्य प्रशिक्षण। टीप - 1: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय हैं। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। प्रतिनियुक्ति पर (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/स्वायत्त या सांविधिक संगठन/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/अनुसंधान संस्थान के अधिकारी:- (क) (i) मूल संवर्ग/विभाग में नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (ii) वेतनमान में स्तर-10 में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान किए गए ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग/विभाग में समकक्ष और (ख) निम्नलिखित शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव रखने वाले- अनिवार्य :- (i) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में उपाधि के साथ राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से स्टेशन अधिकारी और अनुदेशक पाठ्यक्रम तथा उप-अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने के पश्चात् राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज, नागपुर से उच्चस्तरीय डिप्लोमा (मंडलीय अधिकारी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण)। अथवा अभियान्त्रिकी में स्नातक (अग्निशमन) अथवा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अभियांत्रिकी में स्नातक (अग्निशमन प्रौद्योगिकी सुरक्षा)/अभियांत्रिकी में स्नातक (अग्निशमन अभियांत्रिकी सुरक्षा) (ii) सात वर्ष का व्यावसायिक अनुभव जिसमें कम से कम पांच वर्ष का अनुभव सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार स्तर-10 में होना चाहिए अथवा समकक्ष, महानगरीय शहर के अग्निशमन संगठन को प्राथमिकता दी जाएगी। (iii) न्यूनतम शारीरिक मानदंड अर्थात् ऊंचाई 165 सें.मी., भार 50 कि.ग्रा. एवं छाती 86.5 सें.मी. (फुलाकर) होनी चाहिए। टीप: चयनित/नियुक्त व्यक्ति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अस्पताल के चिकित्सा बोर्ड से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति उस तिथि तक शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तथा उसके किसी भी अंग में कोई विकृति नहीं है और किसी संक्रमित बीमारी से ग्रसित नहीं है। टीप - 2: भरक श्रेणी के विभागीय अधिकारी जो कि पदोन्नति की सीधी श्रृंखला में है वे प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे। इसी तरह, प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु
-----	---	--

		विचारणीय नहीं होंगे। टीप - 3: केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः चार वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी। मानक टीप : लागू नहीं
12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है।	विभागीय पदोन्नति समिति 1. वित्तीय आयुक्त — अध्यक्ष 2. संबंधित विभाग का प्रशासनिक सचिव — सदस्य 3. विशेष/अपर सचिव (सा.प्र.वि.) — सदस्य 4. लागू नहीं (सदस्य) 5. लागू नहीं (सदस्य) विभागीय स्थायीकरण समिति 1. लागू नहीं (अध्यक्ष) 2. लागू नहीं (सदस्य) 3. लागू नहीं (सदस्य) 4. लागू नहीं (सदस्य) 5. लागू नहीं (सदस्य)
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) के आधार पर पद को भरने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
विवेक कुमार नरेश, उप-सचिव (गृह)

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 16th September, 2021

No. F. 16(20)/97/H-III/R.R./1695.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification No. 24/78/68-DH (S), dated 24th September, 1968, and in supersession of this Government's Notification No. F. 16(20)/97/H-III/R.R.-1888-97, dated 9th September, 1998, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Divisional Officer (Fire) in Delhi Fire Service, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

- Short title and commencement.**—(i) These rules may be called the Divisional Officer (Fire), Delhi Fire Service Recruitment Rules, 2021.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.
- Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix.**—The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule attached to these rules.
- Method of recruitment, age limit, qualification etc.**—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

- (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall not be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.**6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Schedule Castes, Schedule Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.**SCHEDULE**

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection post/ Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
Divisional Officer (Fire)	9 (2021) * subject to variation dependent on workload	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'A'	11 Remark: Level - 11 (67700 – 208700) in the pay matrix	Selection Post	Not Applicable	Essential:- Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable Desirable:- Qualification: Not Applicable Experience: Not Applicable Qualification Standard Note: NA Experience Standard Note: NA

Whether age and educational qualification prescribed for Direct recruitment will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any	Method of Recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by Promotion/ Deputation / absorption grades from which promotion/ absorptions to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Age : NA Edu. Qual : NA	N.A. Years	Method: Promotion failing which Deputation including Short Term Contract. Percentage: 100	Promotion: Assistant Divisional Officer with 5 years regular service in level-10 of pay matrix (Rs. 56,100 – Rs. 1,77,500/-), and having 2-4 weeks mandatory training as prescribed by the Department. Note 1: Where Juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two	Departmental Promotion Committee 1. Financial Commissioner (Chairman) 2. Administrative Secretary of the Department (Member) 3. Spl. /Addl. Secretary (GAD) (Member) 4. N.A (Member)	Consultation with the UPSC necessary for filling up the post on deputation (ISTC) basis.

		years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service. Deputation (including Short Term Contract): Officers of the Central Government/State Government/ Union Territory/ Autonomous or Statutory Organization/ Public Sector Undertaking/ Recognized University/ Research Institution: (A) (i) Holding analogous post on regular basis in the parent Cadre/Department; OR (ii) With 5 years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in Level-10 in pay matrix or equivalent in the parent Cadre/ Department; AND (B) Possessing following educational qualifications and experience: Essential:- (i) A degree in Science from a recognized university alongwith Advanced Diploma (Divisional Officer course passed) from National Fire Service College, Nagpur after having passed Station Officers and Instructor Course and Sub Officer Course from National Fire Service College, Nagpur OR Bachelor of Engineering (Fire) OR BE (Fire Technology Safety)/ BE (Safety Fire Engineering) from a recognized University. (ii) 07 years professional experience, out of which at least 5 years experience should be in the level 10 as per 7th C.P.C. or equivalent, in any fire organization, preferably of a Metropolitan City. (iii) Should have minimum physical standard i.e. height 165cms., weight 50kg. and chest 86.5cms. (Expanded.) Note: Person selected/appointed shall have to produce Medical Certificate from Medical Board of Govt. of NCT of Delhi Hospital to the effect that the individual is able bodied and does not have any deficiency in any limb and is not suffering from any contagious disease. Note 2: The Departmental Officers in the feeder category who are in direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on	5. N.A (Member) <u>Departmental Confirmation Committee</u> 1. N.A (Chairman) 2. N.A (Member) 3. N.A (Member) 4. N.A (Member) 5. N.A (Member)	
--	--	---	--	--

			deputation. Similarly, Deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by Promotion. Note 3: Period of Deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ Department of the Central Government shall ordinarily not exceed 4 years. The maximum age limit for appointment by deputation shall not exceed 56 years as on the closing date of receipt of applications. Standard Note : NA		
--	--	--	---	--	--

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi,
VIVEK KUMAR NARESH, Dy. Secy. (Home)